

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

F.No 234/1307/HFW/QC/2023/ 2979

दिनांक:- 17/12/2023

सेवा में,

श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली-110054

विषय : सातवीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र (शीतकालीन सत्र-2023), माननीय विधायक श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 146 दिनांक 18.12.2023 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

यह पत्र आपके पत्र सं० एफ.11(बी-1)VII/2020-25/वि.स.स./प्रश्न शा./6316 दिनांक 07.12.2023 के संदर्भ में प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्त के संदर्भ में इस पत्र के साथ माननीय विधायक श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 146 का उत्तर निर्धारित प्रारूप में (100 प्रतियां) आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

यह उत्तर मा० मंत्री महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दिल्ली सरकार के अनुमोदन से प्रेषित किया गया है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार (100 प्रतियां)

भवदीय

उप-सचिव (प्र०शा०)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
Deputy Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02

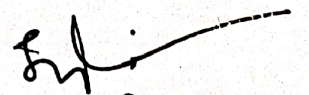
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : 146
दिनांक : 18.12.2023
प्रश्नकर्ता का नाम : मा0 विधायक श्री सुरेन्द्र कुमार
क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्र.स.	प्रश्न	उत्तर														
क	स्वास्थ्य विभाग द्वारा फरिश्ते योजना में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 1 अप्रैल 2023 से 30 नवम्बर 2023 तक कितने लोगों का इलाज हुआ;	स्वास्थ्य विभाग द्वारा फरिश्ते योजना में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 1 अप्रैल 2023 से 30 नवम्बर 2023 तक लोगों के किये गये इलाज की सूची निम्नलिखित है:- <table><tr><th>वर्ष</th><th>लाभार्थी</th></tr><tr><td>2018-19</td><td>1540</td></tr><tr><td>2019-20</td><td>4419</td></tr><tr><td>2020-21</td><td>6131</td></tr><tr><td>2021-22</td><td>5456</td></tr><tr><td>2022-23</td><td>3698</td></tr><tr><td>01.04.2023-30.11.2023</td><td>3604</td></tr></table>	वर्ष	लाभार्थी	2018-19	1540	2019-20	4419	2020-21	6131	2021-22	5456	2022-23	3698	01.04.2023-30.11.2023	3604
वर्ष	लाभार्थी															
2018-19	1540															
2019-20	4419															
2020-21	6131															
2021-22	5456															
2022-23	3698															
01.04.2023-30.11.2023	3604															
ख	फरिश्ते योजना व डाक के अन्तर्गत प्राईवेट अस्पतालों का सरकार के ऊपर कितना पैसा बकाया है, पूर्ण विवरण दें;	फरिश्ते योजना - लगभग 6 करोड़ रुपए डाक योजना- लगभग 22 करोड़ रुपए														
ग	सरकारी अस्पतालों, पॉलीक्लीनिक, डिस्पेंसरी व मोहल्ला क्लीनिक द्वारा मरीजों का फ्री ब्लड टेस्ट कराने के लिए जिन प्राईवेट लैब को टेंडर दिया गया है, उनका कितना पैसा सरकार पर बकाया है;	1. कुल बिल राशि (01-02-2023 to 30-10-2023) एजिलस डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड (formerly एस. आर. एल. लिमिटेड): 17.73 करोड़ रूपये । 2. कुल बिल राशि (01-02-2023 to 30-10-2023) मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड: 3.13 करोड़ रूपये । 3. कुल भुगतान (एजिलस डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड) : 3.29 करोड़ रूपये । 4. कुल भुगतान (मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड) : 1.20 करोड़ रूपये । 5. कुल बकाया (एजिलस डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड) : 14.44 करोड़ रूपये । 6. कुल बकाया (मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड) : 1.92 करोड़ रूपये फरवरी 2023 से अब तक कुल राशि 4,62,84,999.5 /- रूपये का भुगतान आउटसोर्स प्रयोगशाला सेवाओं के लिए किया गया है राज्य एएमसी सेल में कोई भुगतान लंबित नहीं है ।														
घ	जिन प्राईवेट संस्थानों से रेडियोलॉजिकल टेस्ट कराये जाते हैं, उनका सरकार पर कितना पैसा बकाया है;	लगभग 9.5 करोड़ ।														
ड.	जिन प्राईवेट अस्पतालों का डाक सर्जरी स्कीम के तहत सरकार पर पैसा बकाया है, उसका पूरा विवरण दें; और	प्राईवेट अस्पतालों का डाक सर्जरी स्कीम के तहत सरकार पर पैसा बकाया है, उसका पूरा विवरण दिल्ली आरोग्य कोष द्वारा संकलित करने में समय लग रहा है क्योंकि डाटा काफी ज्यादा है जल्दी ही एकत्रित करके विवरण दे दिया जाएगा ।														
च	ऊपर दिये बकाया पैसों के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, पूर्ण विवरण दें?	दिल्ली आरोग्य कोष के अध्यक्ष मा0 स्वास्थ्य मंत्री तथा सचिव डीजीएचएस हैं। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाये।														

यह उत्तर मा0 मंत्री महोदय (स्वास्थ्य) के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है।

हस्ताक्षर



विभाग अध्यक्ष

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Dr. S.B. Deepak Kumar
Secretary (H&FW)